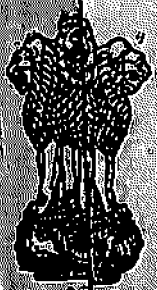

२ संख्या १

सत्यमेव

बिहार विधान सभा वादवृत्त

सरकारी रिपोर्ट

[बुध]वार, तिथि २८ जनवरी, १९५३ ।

[V]ol. II. No. 1

The Bihar Legislative Assembly Debates

Official Report.

[Wed]nesday, the 28th January, 1953.

[अ]धीक्षक, राजकी[य मुद्रण]ालय, बिहार,

मूल्य—६ आ[ना]

Price—A[nna]s 6.]

बिहार विधान सभा वादवृत्त।

तिथि २० फरवरी, १९५३।

भारत के संविधान के उपबंध के अनुसार एकत्र विधान सभा का कार्य विवरण।

सभा का अधिवेशन पटने के सभा सदन में शुक्रवार, तिथि २० फरवरी, १९५३ को पूर्वाह्न ११ बजे में माननीय अध्यक्ष श्री विन्ध्येश्वरी प्रसाद वर्मा के सभापतित्व में हुआ।

अल्प-सूचना प्रश्नोत्तर।

Short Notice Questions and Answers.

मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल के लेडी डाक्टर के ऊपर आरोप।

२३। श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी—क्या मंत्री, चिकित्सा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में वर्त्तमान लेडी डाक्टर कितने वर्षों से लेडी असिस्टेंट सर्जन के पद पर काम कर रही हैं;

(ख) क्या उक्त लेडी डाक्टर को एम० बी० बी० एस० या उस कोटि की डिग्री प्राप्त है, और क्या उनका रजिस्ट्रेशन बिहार मेडिकल बोर्ड से है, यदि नहीं, तो उनका उक्त पद पर इतने वर्षों तक आसीन रहना किनकी आज्ञा से हुआ;

(ग) उक्त लेडी डाक्टर अस्थायी हैं या स्थायी;

(घ) क्या उक्त लेडी डाक्टर बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के सम्मुख कभी उपस्थित हुई हैं?

श्री देवशरण सिंह—(क) गत पाँच वर्षों से।

(ख) प्रथम खंड का उत्तर स्वीकारात्मक है; द्वितीय खंड का प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) स्थायी।

(घ) उत्तर स्वीकारात्मक है।

श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी—क्या सरकार को मालूम है कि वर्त्तमान लेडी डाक्टर के पहले इस अस्पताल में एम० बी० बी० एस० डिग्री प्राप्त लेडी डाक्टर रहा करती थीं?

श्री देवशरण सिंह—इसके लिये अलग नोटिस चाहिये।

श्री चन्द्रमणि लाल चौधरी—क्या सरकार को मालूम है कि इस डाक्टर के खिलाफ इसके तबादला के लिए कई दरखास्तें गवर्नमेंट के पास पहुँच चुकी हैं?

श्री देवशरण सिंह—माननीय सदस्य को मैं बतला देना चाहता हूँ कि इस लेडी डाक्टर का ट्रान्सफर हो गया है मुजफ्फरपुर से।

श्री दारोगा प्रसाद राय—इसकी सूची कब मेज पर रखी जाएगी ?

अध्यक्ष—जब माननीय मंत्री का दिन फिर आएगा, उस दिन फिहरिस्त रख दी जाएगी।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—क्या सरकार यह बताएगी कि आदिवासियों के स्कूल में कब-कब छुट्टी होती है ?

अध्यक्ष—यह सवाल तो जब छुट्टी की फिहरिस्त मेज पर रख दी जाय तब आपको पूछना चाहिये।

श्री चुनका हेम्ब्रोम—क्या सरकार यह बताएगी कि गोड्डा सबडिवीजन में संगरा में एक एल० पी० स्कूल है ?

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता।

बेसिक स्कूलों में प्रारंभिक कृषि-शिक्षा की आवश्यकता।

*३७४। श्री नवल किशोर सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि बेसिक स्कूलों में क्राफ्ट के नाम पर अभी सिर्फ कातने-बुनने की ही शिक्षा दी जा रही है;

(ख) क्या सरकार इसे बुनियादी शिक्षा के लिये पर्याप्त समझती है;

(ग) क्या सरकार कृषि-संबंधी शिक्षा का प्रबंध बुनियादी शिक्षा को इतना आवश्यक नहीं समझती यदि नहीं, तो क्यों ;

(घ) क्या यह बात सही है कि अधिकांश बेसिक स्कूलों में पर्याप्त कृषि-शिक्षा के लिये भूमि की कमी है;

(ङ) क्या सरकार उन स्कूलों के आसपास संतोषजनक कृषि-शिक्षा के लिये अनिवार्य रूप से भूमि अधिकृत करने या अन्य प्रकार से भूमि बढ़ाने का विचार रखती है, यदि नहीं तो क्यों ?

(प्रश्नकर्त्ता अपने स्थान पर खड़े होकर बैठ गये।)

अध्यक्ष—माननीय सदस्य को खड़े होकर बोलना चाहिये कि मैं पूछता हूँ, नहीं तो हमारे रिपोर्टर नहीं जान सकेंगे कि किसने सवाल पेश किया।

श्री बदरी नाथ वर्मा—(क) उत्तर ना है।

(ख) उत्तर ना है।

(ग) बागबानी और कृषि शिक्षा सरकार की बुनियादी शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग मानी गयी है।

(घ) जी नहीं, बेसिक स्कूलों के लिये ५ एकड़ जमीन की आवश्यकता है और अधिकांश हिस्सों में ऐसी जमीन पर्याप्त है।

(ङ) अभी अनिवार्य रूप से जमीन अधिकृत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों के लिये ५ एकड़ या उससे भी अधिक भूमि कहीं-कहीं पर मिली हुई है।

श्री नवल किशोर सिंह—बेसिक स्कूलों में जो ५ एकड़ जमीन है, उसे क्या सरकार कृषि शिक्षा के लिये पर्याप्त समझती है?

श्री बदरी नाथ वर्मा—जहां छोटे-छोटे लड़के हैं उनमें कृषि की शिक्षा नहीं हो सकती है, लेकिन जहां कृषि की शिक्षा हो सकती है वहां के लिये ५ एकड़ काफी नहीं है और अकसर ऐसे स्कूलों में १० एकड़ जमीन है।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—मैं यह जानना चाहता हूँ कि जहां पर जमीन है वहां क्या कृषि का काम होता है?

श्री बदरी नाथ वर्मा—जी हां, बागवानी का काम वहां कराया जाता है।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—बागवानी से क्या मतलब है?

श्री बदरी नाथ वर्मा—यह तो खुद माननीय सदस्य समझ सकते हैं।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—क्या सिर्फ बागबानी से कृषि-काम चल जाएगा?

श्री बदरी नाथ वर्मा—कृषि छोटे-छोटे बच्चे नहीं कर सकते हैं।

श्री हरिवंश नारायण सिंह—क्या इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा नहीं दी जाएगी? अभी तो आपने कहा है कृषि की शिक्षा की व्यवस्था बेसिक स्कूलों में है।

अध्यक्ष—माननीय मंत्री ने कहा है कि बच्चे चूंकि कृषि का काम नहीं कर सकते इसलिये जरूरत नहीं है कि हर बेसिक स्कूलों में कृषि की शिक्षा दी जाय। इसके अलावे बागवानी भी तो कृषि का एक अंग है।

श्री पशुपति सिंह—क्या सरकार को इसकी जानकारी है कि बेसिक स्कूलों को जो जमीन मिली है उसमें अधिकांश वेस्ट लेंड है?

अध्यक्ष—यह तो एक व्यापक प्रश्न है, अगर किसी खास स्कूल के बारे में आप पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं।

श्री दारोगा प्रसाद राय—मैं यह जानना चाहता हूँ कि कृषि के बदले बागबानी की शिक्षा जो दी जाती है उसमें क्या काम होता है?

श्री बदरी नाथ वर्मा—बागवानी का जो काम है वह सब होता है। फल लगाना, फूल लगाना वगैरह, वगैरह।

श्री दारोगा प्रसाद राय—यही तो फर्क है कि सरकार कुछ सोचती है और हमलोग कुछ सोचते हैं। बागवानी में जहां तक हमलोगों ने देखा है कि गेन्दा का फूल लगाकर सरकार समझती है कि बड़ा काम किया और उसी को बागवानी समझती है।

अध्यक्ष—यह तो आप दलील दे रहे हैं, यह प्रश्न पूछना नहीं हुआ।

श्री यमुना राम—क्या सरकार को जानकारी है कि चौतरवा डोम के बेसिक स्कूल की जमीन वापस ले ली गई है और बेसिक स्कूल के पास कोई जमीन नहीं है?

श्री बदरी नाथ वर्मा—इस प्रश्न का जवाब अभी नहीं दिया जा सकता है।

अध्यक्ष—यह सवाल नहीं उठता है, आप किसी स्कूल के बारे में नाम लेकर स्वतंत्र प्रश्न पूछ सकते हैं।

श्री यमुना राम—क्या कताई-बुनाई और बागवानी के अलावा सरकार बुनियादी शिक्षा को पर्याप्त समझती है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—दूसरे तरह की इंडस्ट्री भी आ सकती है, कहीं लकड़ी का काम होता है, कहीं लोहे का काम होता है और कहीं चमड़े का भी काम होता है।

श्री यमुना राम—मैं यह जानना चाहता हूँ कि प्रान्त में कितने बेसिक स्कूलों में चमड़े का काम सिखलाया जाता है?

श्री बदरीनाथ वर्मा—इसके लिये आप स्वतंत्र प्रश्न पूछें।

हाई स्कूलों को सरकारी सहायता।

*३७५। श्री नवल किशोर सिंह—क्या मंत्री, शिक्षा विभाग, यह बताने की कृपा करेंगे कि—

(क) क्या यह बात सही है कि सन् १९४९ के बाद स्वीकृति पाये हुए हाई स्कूलों को सरकारी मदद नहीं मिलती है;

(ख) क्या नये वित्तीय वर्ष में सरकार अपने निर्णय पर फिर से विचार करने को सोचती है, यदि नहीं तो क्यों?

श्री बदरी नाथ वर्मा—(क) नये निर्धारित वेतन क्रम के अनुसार वेतन देने के लिये सरकारी अनुदान केवल उन्हीं हाई स्कूलों को दिया जाता है जो ३१ मार्च, १९४९ तक स्वीकृत थे। इसके अलावे साधारण मदद रुपया रहने पर दूसरे स्कूलों को मिल सकती है।